सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 854 राँची, सोमवार, 21 अक्टूबर, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

26 सितम्बर, 2019 ई०।

विषयः- झारखण्ड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक माह का वेतन (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय भुगतान के संबंध में।

पत्रांक संख्या-15/पी०-01/2016- 5151-- विगत वर्षों में झारखण्ड पुलिस के पदाधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा राजपत्रित अवकाश में कार्य करने, त्यौहार के दिनों में विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु निरंतर सेवा देने तथा कार्यदिवसों में निर्धारित कार्यावधि से ज्यादा अवधि तक कार्य करने के एवज में एक माह के वेतन के समतुल्य मानदेय भुगतान की मांग की जा रही थी। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय से विधिवत प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था।

2. इसी क्रम में दिनांक-06.03.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-33 में ''अन्यान्य'' के रूप में राज्य के पुलिस कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिये जाने के संबंध में निम्न निर्णय लिया गयाः-

''वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री), झारखण्ड द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में, मंत्रिपरिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरांत राज्य के पुलिस कर्मियों

को एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड की एक समिति गठित की जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष समर्पित करेगी।' '

3. मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में समिति का गठन कार्यालय आदेश संख्या-2923, दिनांक-07.06.2019 द्वारा किया गया। इस समिति द्वारा दी गई अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पुलिस बल के विभिन्न पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय का भुगतान निम्न शत्र्तों के साथ किया जाय:-

I. एक माह के वेतन (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय भुगतान की सुविधा झारखण्ड पुलिस बल में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को देय होगी।

II. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में इन कर्मियों को जो वेतन (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) प्राप्त होगा उसके समतुल्य मानदेय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में प्राप्त होने वाले फरवरी माह के वेतन के साथ किया जायेगा।

III. परीक्ष्यमान अवधि के दौरान मानदेय की यह राशि अनुमान्य नहीं होगी।

IV. वर्ष के मध्य सेवामुक्त/सेवानिवृत होने वाले अथवा परीक्ष्यमान अवधि की समाप्ति के पश्चात् नियमित सेवा प्रारम्भ करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को समानुपातिक दर पर यह सुविधा देय होगी।

V. वर्ष के मध्य सेवामुक्त/सेवानिवृत होने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को समानुपातिक राशि का भुगतान उन्हें देय अंतिम वेतन भुगतान के साथ किया जायेगा।

VI. पूरे वित्तीय वर्ष की अवधि में अगर किसी पुलिस पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नियमित सेवा नहीं दी गयी है अर्थात वे निलंबन, अनाधिकृत अनुपस्थिति, अर्जित अवकाश अथवा प्रशिक्षण (सात दिनों से अधिक अवधि के लिए) इत्यादि के फलस्वरूप निर्धारित कत्र्तव्यों से दूर रहते है, तो इस अवधि को घटाकर शेष अवधि के लिए समानुपातिक दर पर मानदेय राशि का भुगतान अनुमान्य होगा।

VII. इस सुविधा का उपभोग करने वाले पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

VIII. वैसे पुलिस पदाधिकारी/कर्मी, जो पूर्व में प्रति माह मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि विशेष भत्ता के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

IX. इस मानदेय पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जायेगा, जिस शीर्ष से संबंधित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के वेतनादि का भुगतान किया जाता है।

X. नियंत्री पदाधिकारी अगर किसी पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के संदर्भ में यह महसूस करते है कि उनके पद के लिए निर्धारित कत्र्तव्यों का स्वरूप इस प्रकार है कि उन्हें राजपत्रित अवकाश/त्यौहारों में तथा कार्यावधि के beyond कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे मामलों में यह सुविधा देने की अनुमान्यता नहीं होगी।

4. मानदेय भुगतान पर होने वाला व्यय उसी शीर्ष से किया जायेगा, जिस शीर्ष से संबंधित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के वेतनादि का भुगतान किया जाता है।

5. उपर्युक्त पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-17.09.2019 की बैठक के मद संख्या-07 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 854 -- 50